

झारखण्ड सरकार

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

(श्रमायुक्त का कार्यालय, Fax No-0651-2481013, E-Mail-labcomihr@gmail.com)

प्रेषक

प्रवीण कुमार टोप्पो, भा0प्र0से0,  
श्रमायुक्त  
झारखण्ड राँची।

सेवा में,

मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, झारखण्ड।  
सभी उपश्रमायुक्त, (कृषि श्रमिक सहित)।  
सभी सहायक श्रमायुक्त, (कृषि श्रमिक सहित)।  
सभी श्रम अधीक्षक, (कृषि श्रमिक सहित)।  
मुख्य कारखाना निरीक्षक, झारखण्ड, राँची।  
सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक, झारखण्ड।  
सभी कारखाना निरीक्षक,

राँची, दिनांक 20.6.17

विषय— निरूपित निरीक्षण व्यवस्था के अनुरूप ससमय निरीक्षण प्रतिवेदन अपलोड करने के संबंध में।  
महाशय,

उर्पयुक्त विषय के संबंध में विभागीय पत्रांक-762, दिनांक- 02.05.2016 के द्वारा आपको निदेशित किया गया था कि सभी श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत किये गये निरीक्षण की टिप्पणी यथा संभव उसी दिन निर्गत कर दी जाए।

समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि विभागीय पदाधिकारियों द्वारा इसका अक्षरशः अनुपालन नहीं किया जा रहा है तथा नेट कनेक्टिविटी, विधि-व्यवस्था इत्यादि की समस्या बताकर निरीक्षण टिप्पणी ससमय निर्गत नहीं की जा रही है। इन समस्याओं पर समयक विचारोपरान्त यह निदेश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में कृत निरीक्षण के 48 घंटे के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदन श्रमाधान पोर्टल के माध्यम से निर्गत किये जाने का आदेश दिया गया है।

इस संबंध में विभागीय पत्रांक-762, दिनांक- 02.05.2016 में संशोधन करते हुए निदेश दिया जाता है कि कृत निरीक्षण के 24घंटे के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदन श्रमाधान पोर्टल के माध्यम से निर्गत किया जाना सुनिश्चित करे।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

विश्वासभाजन

*Praveen Kumar*  
20/6/17

(प्रवीण कुमार टोप्पो)

श्रमायुक्त झारखण्ड, राँची।